रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042026-271623
CG-DL-E-07042026-271623

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1694] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2026/चैत्र 17, 1948
No. 1694] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2026/CHAITRA 17, 1948

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

## (वाणिज्य विभाग)

## (विदेश व्यापार महानिदेशालय)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

**सं. 01/2026-27**

**विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान मालदीव गणराज्य को आवश्यक पण्य वस्तुओं की पूर्ति के संबंध में।**

**का.आ.1762(अ).—** समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा 'निर्यात नीति हेतु सामान्य टिप्पणी' के खंड (ठ) को निम्नानुसार संशोधित करती है:

1. भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत, नीचे दी गई तालिका-1 के कॉलम (4) में उल्लिखित आवश्यक पण्य वस्तुओं का वर्ष 2026-27 के दौरान, मालदीव गणराज्य को नीचे दी गई तालिका-1 के कॉलम (4) में उल्लिखित मात्रा तक, निर्यात करने की अनुमति है:-

**तालिका-1**

| क्रम सं. | पण्य वस्तुएं | इकाई | वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमत मात्रा |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| i. | अंडे | संख्या | 448,913,750 |
| ii. | आलू | मी.ट. | 22,589 |
| iii. | प्याज | मी.ट. | 37,537 |
| iv. | चावल | मी.ट. | 230,429 |
| v. | गेहूं का आटा | मी.ट. | 114,621 |
| vi. | चीनी | मी.ट. | 67,719 |
| vii. | दाल | मी.ट. | 350 |
| viii. | स्टोन एग्रीगेट | मी.ट. | 1,300,000 |
| ix. | नदी की रेत | मी.ट. | 1,300,000 |

2. मालदीव गणराज्य को उपरोक्त तालिका-1 के कॉलम (2) में उल्लिखित वस्तुओं का निर्यात वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंध/निषेध से मुक्त रहेगा।

3. वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान मालदीव गणराज्य को निषिद्ध/प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली ऊपर दी गई तालिका-1 के कॉलम (2) में उल्लिखित आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति केवल निम्नलिखित छह सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से दी जाएगी:-

i.मुंद्रा समुद्री पत्तन (आइएनएमयूएन1)

ii.तूतीकोरिन समुद्री पत्तन (आइएनटीयूटी1)

iii.न्हावा शेवा समुद्री पत्तन (आइएनएनएसए1)

iv. आइसीडी तुगलकाबाद (आइएनटीकेडी6)

v. कांडला समुद्री पत्तन (आइएनआइएक्सवाई1)

vi. विशाखापत्तनम समुद्री पत्तन (आइएवीटीजेड1)

4. नदी की रेत और स्टोन एग्रीगेट की उपरोक्त तालिका 1 के कॉलम 4 में उल्लिखित मात्रा के निर्यात के लिए, सीएपीइएक्सआइएल यह सुनिश्चित करेगा कि आपूर्तिकर्ताओं/निष्कर्षणकर्ताओं ने अपेक्षित पर्यावरणीय निकासी प्राप्त कर ली है और यह खनन तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) क्षेत्रों में नहीं किया जाता है।

5. इसके अतिरिक्त, नदी की रेत और स्टोन एग्रीगेट के निर्यात की अनुमति केवल संबंधित राज्य सरकारों के नामित नोडल अधिकारियों से पर्यावरण निकासी/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही दी जाएगी, जहाँ से सामग्री प्राप्त की जाती है। यह इन पण्य वस्तुओं के खनन से संबंधित लागू राज्य कानून या न्यायिक आदेशों के अधीन भी है।

6. अंडों का निर्यात, जैसा कि ऊपर तालिका-1 के क्रम सं. (i) में बताया गया है, इस शर्त के अधीन होगा कि हर खेप के साथ निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा जारी एक वैध निर्यात स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो जो मालदीव खाद्य एवं औषधि प्राधिकारी की आवश्यकता के अनुसार, जेनरिक ऑफिशियल सर्टीफिकेट (सीएक्सजी 38-2001) के डिजाइन, उत्पादन, जारी करने और इस्तेमाल करने के लिए कोडेक्स दिशा निर्देशों के अनुरूप हो।

**इस अधिसूचना का प्रभाव:** विनिर्दिष्ट मात्रा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत और मालदीव की सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव गणराज्य को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल, स्टोन एग्रीगेट और नदी की रेत के निर्यात की अनुमति दी गई है। इस अवधि के दौरान ये निर्यात किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंध या निषिद्ध से मुक्त रहेंगे। अंडों के निर्यात के लिए मालदीव खाद्य एवं औषध प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित

कॉडेक्स मानकों के अनुरूप निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआइसी) द्वारा जारी निर्यात स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी। इसके अलावा, निषिद्ध या प्रतिबंधित श्रेणी के तहत वर्गीकृत वस्तुओं के निर्यात की अनुमति केवल छह नामित सीमा शुल्क पत्तनों के माध्यम से दी जाएगी। नदी की रेत और स्टोन एग्रीगेट के मामले में, निर्यात पर्यावरण निकासी, सीआरजेड मानदंडों और संबंधित राज्य विनियमों के अनुपालन के अधीन होगा।

[फा. सं. 01/91/171/59/एएम20/ईसी/ई-20816]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**
**(Department of Commerce)**

**(**DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE**)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2026

**No. 01 /2026-27**

**Subject: Supply of essential commodities to the Republic of Maldives during FY 2026-27 - regarding.**

**S.O. 1762(E).—** In exercise of the powers conferred by Section 3, read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, and paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Section (L) of the 'General Note to Export Policy' as follows:

1. Export of essential commodities mentioned in Column (2) of the Table-1 below, to the Republic of Maldives, during 2026-27 up to the quantities as mentioned in Column (4) of Table-1 below, is allowed under bilateral trade agreement between Government of India and Government of Maldives: -

**Table-1**

| S. No. | Commodity | Unit | Quantity allowed for FY 2026-27 |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| i. | Eggs | Nos. | 448,913,750 |
| ii. | Potatoes | MT | 22,589 |
| iii. | Onions | MT | 37,537 |
| iv. | Rice | MT | 230,429 |
| v. | Wheat Flour | MT | 114,621 |
| vi. | Sugar | MT | 67,719 |
| vii. | Dal | MT | 350 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| viii. | Stone Aggregate | MT | 1,300,000 |
| ix. | River Sand | MT | 1,300,000 |

2. Export of the commodities, mentioned in Column (2) of Table-1 above, to the Republic of Maldives shall be exempt from any existing or future restrictions/prohibitions during FY 2026–27.

3. Export of essential commodities, mentioned in Column (2) of Table-1 above, falling under the prohibited/restricted category to the Republic of Maldives during FY 2026–27 shall be permitted only through the following six Customs Stations:-

i. Mundra Sea port (INMUN1)
ii. Tuticorin Sea Port (INTUT1)
iii. Nhava Sheva Sea Port (INNSA1)
iv. ICD Tughlakabad (INTKD6)
v. Kandla Sea (INIXY1)
vi. Visakhapatnam Sea (INVTZ1)

4. For export of the quantities of River Sand and Stone Aggregate, as mentioned in Column (4) of Table-1 above, CAPEXIL shall ensure that suppliers/extractors have obtained the required environmental clearances and that mining is not conducted in Coastal Regulation Zone (CRZ) areas, as per the Coastal Regulation Zone Notification.

5. Additionally, export of River Sand and Stone Aggregate shall be permitted only upon obtaining environmental clearances/No Objection Certificates from the designated nodal authorities of the respective State Governments from which the material is sourced. This is also subject to applicable State legislation or judicial orders relating to the mining of these commodities.

6. Export of Eggs, as mentioned at S. No. (i) of Table-1 above, shall be subject to the condition that each consignment is accompanied by a valid Export Health Certificate issued by the Export Inspection Council, conforming to the Codex Guidelines for the Design, Production, Issuance and Use of Generic Official Certificates (CXG 38-2001) as required by the Maldives Food and Drug Authority.

**Effect of this notification**: Export of Eggs, Potatoes, Onions, Rice, Wheat Flour, Sugar, Dal, Stone Aggregate, and River Sand to the Republic of Maldives has been permitted under the bilateral trade agreement between the Governments of India and Maldives for the FY 2026-27, as per the specified quantities. These exports shall remain exempt from any existing or future restrictions or prohibitions during this period. Export of Eggs shall additionally require an official Export Health Certificate issued by the Export Inspection Council (EIC), conforming to Codex standards as required by the Maldives Food and Drug Authority. Further, export of items classified under the prohibited or restricted category shall be allowed only through the six designated Customs ports. In the case of River Sand and Stone Aggregate, exports will also be subject to environmental clearances, CRZ norms and compliance with relevant State regulations.

[F.No. 01/91/171/59/AM20/EC/E-20816]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade &
Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.04.07 21:46:59 +05'30'